# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 157/2022

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| ABC Renewable Energy Pvt. Ltd. कार्यालय PMR प्रथम फ्लोर सोमजी गुडा हैदराबाद तेलंगाना, जरिये प्राधिकृत अधिकारी अजय सिह जोधा पुत्र दौलत सिह जोधा निवासी प्लॉट नंबर 337, मोहन नगर बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर | | 1– चुन्नीलाल पुत्र बीरमाराम<br>2– ईशाराम पुत्र बीरमाराम<br>जातियान जाट निवासीगण श्री कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर<br>3– उच्छब कंवर बेवा बाबूसिह<br>4– भेरूसिह पुत्र बाबूसिह<br>5– रूपसिह पुत्र बाबूसिह<br>जातियान राजपूत निवासीगण बडी सिड्ड तहसील बाप, जिला जोधपुर<br>6– तहसीलदार बाप |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–3–2022 जिसे न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2016 अनवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम उच्छबकंवर वगैरा मे पारित कर ग्राम बडी सिड्ड के नामांतरकरण संख्या 1855 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री जितेन्द्र मोहन चौधरी, श्री प्रमोद कालीराना अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सी.पी. चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 27–5–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2016 अनवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम उच्छबकंवर वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 14–3–2022 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडीसिड्ड तहसील बाप स्थित खसरा नंबर 236, 285, 235, 234, 232 की कुल 1963 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदान सिह जो जागीरदार थे, उनके नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी तथा खातेदार शिवनाथसिह के फोत होने पर उनके पुत्र बाबूसिह के नाम म्युटेशन संख्या 114 दर्ज हुआ । उक्त खातेदार के विरूद्ध सिलिंग नियम के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे सिलिंग प्रकरण संख्या 87/73 दर्ज हुआ, जिसका निर्णय दिनांक 20–9–1977 को पारित हुआ जिसके द्वारा खसरा नंबर 232 की 23 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 234 की 53बीघा 04 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 236 की 875 बीघा 15 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 285 की 570 बीघा 07 बिस्वा भूमि राज्य

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

(1) के तहत मामला निकालने किये जाने पर दिनांक 31–7–1985 को अपर जिला कलेक्टर जोधपुर ने निर्णय पारित करते हुए 1438 बीघा 15 बिस्वा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अवाप्त करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील प्रस्तुत हुई, उक्त अपील के निर्णय दिनांक 25–4–88 के द्वारा अपील स्वीकार कर मामला पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि नामांतरकरण संख्या 102 जो शिवनाथसिह के फोत होने पर उनके पुत्र बाबूसिह के नाम स्वीकार किया गया परंतु मृतक शिवनाथसिह के अन्य वारिसान का विरासत मे प्राप्त अधिकारो के संबंध मे कोई निर्णय नही दिया गया जबकि शिवनाथसिह की मृत्यु के समय उनकी पत्नी एवं तीन पुत्रियां जीवित थी । उक्त रिमाण्ड आदेश के बाद अपर जिला कलेक्टर ने पुनः निर्णय दिनांक 20–1–94 को पारित करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 31–7–85 की पुष्टि कर दी । जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत अपील को दिनांक 15–12–98 से खारीज कर दी जाने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 15–12–98 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 2461/99 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 27–7–99 को पारित किया गया तथा रिट याचिकाकर्ताओ को माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 15–12–98 के आदेश के विरूद्ध रिव्यू करने के निर्देश दिये ।जिसकी पालना मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 13/99 पेश किया गया, जिसका निर्णय दिनांक 5–5–2000 को पारित करते हुए पूर्व पारित आद्रेश को निरस्त कर दिया तथा अपील स्वीकार की गई तथा अपर जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 20–1–94 को निरस्त करते हुए प्रकरण अपर जिला कलेक्टर फलोदी को इन. निर्देशो के साथ प्रेषित किया गया कि वर्तमान प्रकरण मे विवादित भूमि मे बाबूसिह द्वारा दिनांक 1–1–73 को धरित पैतृक भूमि मे उसकी बहिनो एवं यदि दिनांक 1–1–73 को माता जीवित थी तो उसके हिस्से को अलग कर बाबूसिह द्वारा धारित भूमि का निर्धारण कर विधि अनुसार निर्णय पारित करें । जिस पर न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी ने सिलिंग प्रकरण संख्या 27/2011 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप बनाम श्रीमती उच्छबकंवर पत्नी बाबूसिह एवं अन्य दर्ज कर उसमे पारित निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा यह आदेश पारित किया कि – खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदानसिह की कुल 1963.10 बीघा भूमि मे से शिवनाथसिह के देहान्त पश्चात उनके विधिक वारिसान मे पुत्र बाबूसिह एवं पुत्रियां पारूकंवर, सूरजकंवर एवं हवाकंवर कुल 4 वारिस मानते हुए सिलिंग सीमा से अधिक कोई भूमि नही पाये जाने से सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है । शिवनाथसिह की उक्त रकबा 1963.10 बीघा भूमि ग्राम बडी सिड्ड तहसील बाप की भूमि मे पुत्र बाबूसिह का 1/4 हिस्सा तथा तीनो पुत्रियों का भी 1/4 – 1/4 हिस्सा मानकर उपरोक्त मे से यदि उक्त भूमि का बेचान, विधिक हस्तांतरण किया गया है तो विक्रय पत्र माफिक विधि अनुसार केतागण के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर शेष भूमि उपरोक्त हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये । न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय दिनांक 14–7–2017 की पालना मे ग्राम बडी सिड्ड के म्युटेशन संख्या 1855 शिवनाथ

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सिह के उतराधिकारियो के नाम दर्ज कर दिनांक 3–9–2019 को स्वीकृत किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 1855 स्वीकृत होने के पश्चात उक्त नामांतरकरण मे वर्णित खातेदार शिवनाथसिह के वारिसान ने भूमि का भिन्न भिन्न केताओ को रजिस्टर्ड बेचान किया जिनमे से अपीलांट ने भी अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि अलग अलग पंजीबद्ध विक्रय विलेख से ग्राम बडी सिड्ड के खसरा नंबरान 285/1 एवं 236/1 की भूमि मे से खरीद की थी तथा पंजीबद्ध विलेख के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे म्युटेशन संख्या कमशः 2298, 2299, 2300, 2313, 2314, 2315, 2323 एवं 2384 दर्ज हुआ तथा उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट के नाम दर्ज हुई ।

इस दौरान वर्तमान अपील के रेस्पों0 संख्या 1 चुन्नीलाल पुत्र बीरमाराम एवं रेस्पो0 संख्या 2 ईशाराम पुत्र बीरमाराम जातियान जाट निवासी श्री कृष्णनगर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष म्युटेशन संख्या 1855 स्वीकृति दिनांक 3–9–2019 के विरूद्ध यह कथन करते हुए एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की, कि उनके पिता बीरमारामजी ने उक्त अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार बाबूसिह पुत्र शिवनाथसिह राजपूत निवासी बडी सिड्ड से खसरा नंबर 236 मे से 50 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 25–7–78 को खरीद की गई थी तथा बीरमारामजी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाप के समक्ष उनके पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार बाप ने पटवारी हल्का को नामांतरकरण स्वीकृति के आदेश दिये परंतु बीरमारामजी के पक्ष मे बेचान दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का ने नामांतरकरण दर्ज नही किया गया तथा म्युटेशन संख्या 1855 केवल बाबूसिह के वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अपर जिला कलेक्टर फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2022 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम बडी सिड्ड के नामांतरकरण संख्या 1855 को निरस्त कर तहसीलदार बाप को आदेशित किया कि ग्राम बडी सिड्ड के खसरा नंबर 236 की सम्पूर्ण भूमि मे अपीलांट के पिता बीरमाराम के विक्रय विलेख दिनांक 25–7–78 एवं पंजीयन दिनांक 11–8–78 के अनुसार अपीलांट के पिता की खरीदसुदा भूमि वीरमाराम के स्थान पर अपीलांट के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर शेष भूमि निर्णय दिनांक 14–7–2017 के अनुसार दर्ज की जावें । अपर जिला कलेक्टर फलोदी के उक्त निर्णय दिनांक 14–3–22 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने प्रस्तुत अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि का सद्भावी केता है अपीलांट ने खसरा नंबर 236/1 एवं 285/1 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद करने तथा अपीलांट के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 2313, 2314, 2315, 2300, 2299, 2298 एवं 2384 स्वीकृत होने के बावजुद अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील मे पक्षकार नही बनाया तथा अधीनस्थ

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय ने भी बिना राजस्व रेकर्ड की जांच किये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वक़ील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे रेकर्डेड खातेदारान द्वारा किये गये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो को निरस्त करवाने बाबत कोई सिविल सूट रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रस्तुत नही किया है तथा यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 236 मे से 50 बीघा भूमि आज भी मूल रेस्पो0 के पास है तथा कथन किया कि मूल खातेदार बाबूसिह द्वारा अपीलाधीन भूमि मे से और भी बेचान किये गये थे जिनके आधार पर भी म्युटेशन स्वीकृत हुए थे परंतु वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उन म्युटेशनो को आज तक चुनौती नही दी है केवल अपीलांट को ही तंग व परेशान करने की नियत से म्युटेशन संख्या 1855 को निरस्त करवाने हेतु अपील की है, जिस पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि पूर्व खातेदार बाबूसिह द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के पिता बीरमाराम के पक्ष मे तथाकथित विकय विलेख दिनांक 25–7–78 को निष्पादित करने के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 खसरा नंबर 236 मे 50 बीघा भूमि का क्लेम रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर कर रहे है परंतु रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 का उक्त खसरा नंबर की भूमि पर कब्जा कहां है, यह भी अवगत नही कराया जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि लंबे विलंब के बाद म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये किसी खातेदार के कोई अधिकार सृजित नही होते इसके लिए नियमित वाद ही विकल्प है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर गौर किये बिना तथा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विभिन्न न्यायालयो मे दायर अपीले एवं उन पर पारित हुए निर्णयों आदि पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2022 को एवं उक्त आदेश की पालना मे नया स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 2441 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन आदेश की पालना मे सम्पन्न की गई अन्य कार्यवाही को भी निरस्त करने का निवेदन किया, साथ ही अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेखो के आधार पर अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे निर्णय नजीरे भी प्रस्तुत की ।

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि जमाबंदी संवत 2031 से 2034 अनुसार ग्राम बडी सिड के खसरा नंबर 236 की 880 बीघा 08 बिस्वा भूमि का खातेदार बाबूसिह पुत्र शिवनाथसिह जाति राजपूत सा0 देह थे जिनके द्वारा

1978 मे एक रजिस्टर्ड बेचान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता बीरमारामजी के पक्ष के उक्त खसरा नंबर 236 की भूमि मे से 50 बीघा भूमि का निष्पादित किया था तथा उक्त पंजीबद्ध बेचान के आधार पर म्युटेशन दर्ज करवाने बाबत रेस्पो0 के पिता बीरमारामजी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाप के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार बाप ने पटवारी हल्का को नामांतरकरण स्वीकृति के आदेश दिये परंतु बीरमारामजी के पक्ष मे बेचान दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का ने नामांतरकरण दर्ज नही किया गया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी ने सिलिंग प्रकरण संख्या 27/2011 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप बनाम श्रीमती उच्छबकंवर पत्नी बाबूसिह एवं अन्य दर्ज कर उसमे पारित निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा यह आदेश पारित किया कि – खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदानसिह की कुल 1963.10 बीघा भूमि मे से शिवनाथसिह के देहान्त पश्चात उनके विधिक वारिसान मे पुत्र बाबूसिह एवं पुत्रियां पारूकंवर, सूरजकंवर एवं हवाकंवर कुल 4 वारिस मानते हुए सिलिंग सीमा से अधिक कोई भूमि नही पाये जाने से सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है । शिवनाथसिह की उक्त रकबा 1963.10 बीघा भूमि ग्राम बडी सिड्ड तहसील बाप की भूमि मे पुत्र बाबूसिह का 1/4 हिस्सा तथा तीनो पुत्रियों का भी 1/4 – 1/4 हिस्सा मानकर उपरोक्त मे से यदि उक्त भूमि का बेचान, विधिक हस्तांतरण किया गया है तो विक्रय पत्र माफिक विधि अनुसार केतागण के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर शेष भूमि उपरोक्त हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये थे परंतु अपर जिला कलेक्टर सिलिंग फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–7–2017 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे म्युटेशन संख्या 1855 केवल बाबूसिह के वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया, केता का नाम दर्ज ही नही किया जो त्रुटिपूर्ण होने से उसे अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अपर जिला कलेक्टर फ़लोदी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2022 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम बडी सिड्ड के नामांतरकरण संख्या 1855 को निरस्त कर तहसीलदार बाप को आदेशित किया कि ग्राम बडी सिड्ड के खसरा नंबर 236 की सम्पूर्ण भूमि मे अपीलांट के पिता वीरमाराम के विकय विलेख दिनांक 25–7–78 एवं पंजीयन दिनांक 11–8–78 के अनुसार अपीलांट के पिता की खरीदसुदा भूमि बीरमाराम के स्थान पर अपीलांट के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर शेष भूमि निर्णय दिनांक 14–7–2017 के अनुसार दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि दिनांक 31–7–2017 की जमाबंदी के खातेदारो को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे पार्टी बनाया गया जबकि कम्पनी उस समय खातेदार नही थी इसलिए उन्हे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है ।

अंत मे रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त

आदेश दिनांक 6–4–2022 को खारीज करने का निवेदन किया तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का नाम पंजीबद्ध बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश जो अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, उसे बहाल रखने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि न्यायालय अपर जिला कलेक्टर सिलिंग फलोदी के निर्णय दिनांक 14–7–2017 मे खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदानसिह की कुल 1963.10 बीघा भूमि मे से शिवनाथसिह के देहान्त पश्चात उनके विधिक वारिसान मे पुत्र बाबूसिह एवं पुत्रियां पारूकंवर, सूरजकंवर एवं हवाकंवर कुल 4 वारिस मानते हुए सिलिंग सीमा से अधिक कोई भूमि नही पाये जाने से सिलिंग कार्यवाही समाप्त की गई है । शिवनाथसिह की उक्त रकबा 1963.10 बीघा भूमि ग्राम बडी सिड्ड तहसील बाप की भूमि मे पुत्र बाबूसिह का 1/4 हिस्सा तथा तीनो पुत्रियों का भी 1/4 – 1/4 हिस्सा मानकर उपरोक्त मे से यदि उक्त भूमि का बेचान, विधिक हस्तांतरण किया गया है तो विक्रय पत्र माफिक विधि अनुसार केतागण के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर शेष भूमि उपरोक्त हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये थे । उक्त प्रकरण मे चूँकि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि शिवनाथसिह के वारिसान अथवा केताओ से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खरीद की गई है उक्तानुसार केतागण को किये गये बेचान/विधिक हस्तांतरण अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करना विधिसम्मत होगा । शेष भूमि के संबंध मे कार्यवाही अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय दिनांक 14–7–2017 अनुसार की जाना उचित होगा ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के द्वारा राजस्व अपील संख्या 20/2016 अनवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम उच्छबकंवर वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 14–3–2022, ग्राम बडी सिड के म्युटेशन संख्या 1855 तथा बहस के दौरान पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ात तथा निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

वर्तमान अपील मे रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने दिनांक 12–4–2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत एकतरफा आदेश दिनाक 6–4–2022 को अपास्त करने का प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी जाकर पक्षकारो के अधिवक्ताओं की दिनांक 13–5–2022 को बहस सुनी गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान ही उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने अपील के बिन्दुओ पर भी विस्तृत बहस करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी तथा अपील का निर्णय एक साथ कर दिये जाने बाबत निवेदन किया जाने पर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया ।

अपील मे वर्णित ग्राम बडीसिड्ड तहसील बाप स्थित खसरा नंबर 236, 285, 235, 234, 232 की कुल 1963 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदान सिह जो जागीरदार थे, उक्त खातेदार के विरूद्ध सिलिंग नियमो के तहत विभिन्न न्यायालयो मे सम्पन्न हुई कार्यवाहियां बाबत विस्तृत उल्लेख निर्णय के पृष्ठ संख्या 1 व 2

अंतिम निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के सिलिंग प्रकरण संख्या 27/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 14–7–17 के द्वारा किया गया है जिसमे खातेदार शिवनाथसिह एवं उनके वारिसान के विवेचन के पश्चात सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नही पाई जाने पर उक्त निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा सिलिंग कार्यवाही समाप्त की गई । न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा सिलिंग प्रकरण संख्या 27/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 14–7–2017 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि – खातेदार शिवनाथसिह पुत्र आईदानसिह की कुल 1963.10 बीघा भूमि मे से शिवनाथसिह के देहान्त पश्चात उनके विधिक वारिसान मे पुत्र बाबूसिह एवं पुत्रियां पारूकंवर, सूरजकंवर एवं हवाकंवर कुल 4 वारिस मानते हुए सिलिंग सीमा से अधिक कोई भूमि नही पाये जाने से सिलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है । शिवनाथसिह की उक्त रकबा 1963.10 बीघा भूमि ग्राम बडी सिड्ड तहसील बाप की भूमि मे पुत्र बाबूसिह का 1/4 हिस्सा तथा तीनो पुत्रियों का भी 1/4 – 1/4 हिस्सा मानकर उपरोक्त मे से यदि उक्त भूमि का बेचान, विधिक हस्तांतरण किया गया है तो विक्रय पत्र माफिक विधि अनुसार केतागण के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर शेष भूमि उपरोक्त हिस्से अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये ।

अपर जिला कलेक्टर फलोदी के निर्णय दिनांक 14–7–2017 की पालना मे ग्राम बडी सिड तहसील बाप का नामांतरकरण संख्या 1855 दिनांक 3–9–2019 को स्वीकृत किया गया जिसमे खसरा नंबर 236 के खातेदार बाबूसिह पुत्र शिवनाथसिह राजपूत द्वारा वर्ष 1978 मे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता बीरमारामजी के पक्ष मे किये गये बेचान के आधार पर उक्त नामांतरकरण मे अमल दरामद नही किया जाने पर वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्व अपील संख्या 20/2016 प्रस्तुत की गई, जिसमे दिनांक 14–3–2022 को पारित निर्णय इस प्रकार है – अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1855 ग्राम बडी सिड्ड को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेशित किया कि ग्राम बडी सिड्ड के खसरा नंबर 236 की सम्पूर्ण भूमि मे अपीलांट के पिता बीरमाराम के विक्रय विलेख दिनांक 25–7–78 एवं पंजीयन दिनांक 11–8–78 के अनुसार अपीलांट के पिता की खरीदसुदा भूमि बीरमाराम के स्थान पर अपीलांट के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर शेष भूमि निर्णय दिनांक 14–7–2017 के अनुसार दर्ज की जावें ।

चूँकि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 1855 ग्राम बडी सिड्ड स्वीकृत होने के बाद उक्त नामांतरकरण मे वर्णित खसरा नंबर 236/1 एवं खसरा नंबर 285/1 की भूमि खातेदार शिवनाथसिह के वारिसान ने भिन्न भिन्न पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो के जरिये बेचान कर दी थी जिनमे वर्तमान अपीलांट भी खसरा नंबर 236/1 एवं 285/1 के केता तथा रेकर्डेड खातेदार थे परंतु उन्हे पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–3–2022 पारित कर नामांतरकरण संख्या 1855 निरस्त कर दिया । अपीलांट अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश

उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा अपीलाधीन भूमि से संबंधित सभी प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी की राजस्व अपील संख्या 20/2016 मे पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–3–2022 को आंशिक रूप से संशोधित कर नामांतरकरण संख्या 1855 ग्राम बडी सिड्ड तहसील बाप को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बडी सिड्ड के खसरा नंबर 236 की सम्पूर्ण भूमि मे बीरमाराम के विक्रय पत्र दिनांक 25–7–1978 पंजीयन दिनांक 11–8–1978 के अनुसार केता बीरमाराम के स्थान पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 क्रमशः चुन्नीलाल एवं ईशाराम पुत्रान वीरमाराम के नाम से नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर शेष भूमि खसरा नंबर 236 एवं सम्पूर्ण खसरा नंबर 285 मे अपीलांट ABC Renewable Energy (RJ01) Pvt. Ltd कार्यालय PMR प्रथम फलोर सोमजी गुडा हैदराबाद, तैलंगाना के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्रो के अनुसार विक्रेतागण के शेष बचे हिस्से तक की भूमि का बाद जांच नामांतरकरण स्वीकृत करें । तत्पश्चात शेष भूमि का अपर जिला कलेक्टर फलोदी के सिलिंग प्रकरण संख्या 27/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 14–7–17 के अनुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जायें ।

निर्णय आज दिनांक 27–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर